



चूरा वाद में डिक्ली
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)
न्यायालय उप खण्ड अधिकारी चूरा
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत / केम्प कोर्ट), रायपुरिया

पीठासीन अधिकारी :- राहुल शैनी R.A.S.

उत्तरवादी

वपरांगसिंह

बनाम

रूपसिंह

आवक बाबत नाग दुरुस्ती U/S 88 RTA.

मुकदमा नम्बर :- 96/2021


निर्णय दिनांक :- 17-11-2021

वादी की ओर से स्वयं को व प्रतिवादी की ओर से पीरोकार राय की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 17-11-2021 को राहुल शैनी RAS (नाम पीठासीन अधिकारी) उपखण्ड अधिकारी, चूरा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश किया जाता है और डिक्ली दी जाती है कि -

दावावादी स्वीकार किया प्रामाण्य कृषि भूमि का रोड़ी जाम रायपुरिया ब्याक सं. 39, प्लॉट नं. 254, 251 के खातेदार मजसूम सिंह पुत्र रूपसिंह के स्वयं पर वपरांगसिंह पुत्र रूपसिंह को जाने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार चूरा उक्तानुसार रायपुरिया सिट्टी में अग्रत दरमद कर के निर्देश दिये जाते हैं।

खर्चा पक्षकारण के अनुसार वहन करेंगे।

यह आज तारीख 17-11-2021 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुहर लगाकर जारी है।


(राहुल शैनी)
उपखण्ड अधिकारी
चूरा

वाद के खर्चे

वादी	प्रतिवादी
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प	शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प
2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	अर्जी के लिए स्टाम्प
3. एवार्ड के लिए स्टाम्प	प्लॉट की फीस
4. ... रूपसिंह पर प्लीडर की फीस	साक्षियों के लिए निर्वाह खर्च
5. साक्षियों के लिए निर्वाह-खर्च	आदेशिका की तामील
6. कमिश्नर की फीस	कमिश्नर की फीस
7. आदेशिका की तामील	
जोड़	जोड़



नॉ स्ल 1310

22-11-2021